3/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

अपील सं0 02/2020

1. राजकुमार पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जाट निवासी चुली खुर्द तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा)।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़(राजस्थान)

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.02.2020 तहसीलदार (राजस्व) भादरा

उपस्थितः– श्री भरतसिंह बैनीवाल, अधिवक्ता अपीलांट

राज पेरोकार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक : 24.11.2020**

अपीलांट ने तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 20.02.2020 के विरूद्ध अपील पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट की तरफ से एक प्रार्थना पत्र संख्या 19/2018 वसीयत अनुसार नामान्तरकरण बाबत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया की कृषि भूमि रोही मौजा आसन के खाता संख्या 76/74 के खसरा नं. 64,65,66,92,94,95,112,146/247,148,149 की कुल खसरा 11 का क्षेत्रफल 27.7080 है0 बारानी भूमि संयुक्त खातें में से 1.153 है0 भूमि तथा रोही मौज अजीतपुरा के खाता संख्या 363/375 के खसरा नं. 964 की कुल खसरा 1 की 3.642 है0 बारानी भूमि संयुक्त खाते से 140 हिस्सा में 1/3 हिस्सा की भूमि का वसीयत के अनुसार इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थी के नाना जी रामस्वरूप पुत्र रामजस जाति जाट आयु 84 निवासी आसन तहसील भादरा हाल निवासी चुली खुर्द तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा) ने एक वसीयत दिनांक 13.04.2018 को उप पंजीयक छानीबड़ी तहसील भादरा में प्रार्थी/अपीलांट राजकुमार पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट साकिन चुलीखुर्द तहसील आदमपुर जिला हिसार के पक्ष में वसीयत पंजीकृत करवायी थी। वसीयत के अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार राजस्व भादरा के समक्ष प्रस्तुत किया था और निवेदन किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

था कि वसीयतनामा उप पंजीयक छानीबड़ी तहसील भादरा ने दिनांक 13.04.2018 को प्रार्थी के नाना रामस्वरूप पुत्र रामजस जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा ने मेरे पक्ष में यानि दोहिते राजकुमार पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी चुलीखुर्द तहसील आदमपुर जिला हिसार के पक्ष में करवाई थी। वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 23.05.2018 को हो चुकी है। वसीयतनामा के अनुसार इंतकाल दर्ज किया जावें। मातहत अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 20.02.2020 को पारित करते समय वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करने पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 14.11.2018 को पृष्ठ संख्या 14 पर प्रकाशित हुआ जो शामिल पत्रावली था। वसीयत के गवाह रोशनी पत्नी पृथ्वीसिंह व कृष्ण कुमार पुत्र पृथ्वीसिंह जाति जाट निवासी चुलीखुर्द तहसील आदमपुर जिला हिसार (हरियाणा) के ब्यान शपथ पत्र दिये गये है तथा वसीयत सही होना व निर्विवाद होना बताया गया है। पटवारी हल्का अजीतपुरा व सुरतपुरा की रिपोर्ट के मुताबिक वसीयत की गई भूमि पर कोई विवाद आदि होना नही बताया गया है। सिर्फ यह कहा की राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 28 के अनुसार भूमि का अवैध हस्तान्तरण है का हवाला दिया इस आधार पर प्रार्थना पत्र वसीयत इन्तकाल दर्ज करने बाबत खारिज करने में रूची दिखाई है जो कि कतई गलत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 20.02.2020 बअदालत मातहत अदालत अपास्त फरमाया जावें तथा वसीयत दिनांक 13.04.2018 के आधार पर प्रार्थी/अपीलांट के नाम इन्तकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट व अपीलाधीन रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में अपील मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी अपीलांट की तरफ से एक प्रार्थना पत्र वसीयत क्रमांक 19/2018 नामान्तरकरण बाबत तहसीलदार (राजस्व) भादरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि रोही मौजा आसन तहसील भादरा के खाता संख्या 76/74 के खसरा न 64,65,66,92,94,95,112,146/247,148,149 की कुल खसरा 11 का क्षेत्रफल 27.7080 है0 बारानी भूमि व संयुक्त खातें में से 1.153 है0 भूमि व रोही मौजा अजीतपुरा के खाता संख्या 363/375 के खसरा नं. 964 की कुल खसरा 1 की 3.642 है0 बारानी भूमि संयुक्त खाते से 140 हिस्सा में 1/3 हिस्सा भूमि की वसीयत के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अनुसार इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया था की प्रार्थी के नाना जी रामस्वरूप पुत्र रामजस ने एक वसीयत दिनांक 13.04.2018 को उप पंजीयक छानीबड़ी तहसील भादरा में प्रार्थी राजकुमार के पक्ष में वसीयत पंजीकृत व तस्दीक करवायी थी। वसीयतकर्ता रामस्वरूप का देहांत दिनांक 23.05.2018 को हो गया था। दिनांक 14.11.2018 को सार्वजनिक सूचना बाबत दैनिक भास्कर समाचार पत्र में साया करवाया गया तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 18.04.2019 को पेश कर दी गई थी तथा वसीयत में दोनों गवाह के ब्यान दर्ज करवा दिये गये थे उन्होनें वसीयत को सही व अपनी सहमति दर्ज करवाई थी। तहसीलदार (राजस्व) भादरा ने आदेश दिया की यह भूमि हरियाणा के व्यक्ति के पक्ष में की गई है जो कि राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अनुसार अवैध हस्तान्तरण है। यह वसीयत है न की हस्तानान्तरण। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 28 के अनुसार भूमि का अवैध हस्तानान्तरण होने पर भूमि का नामान्तरण दर्ज नही होता है लेकिन वसीयतनामा के द्वारा भूमि के हस्तानान्तरण में कोई बाधा नही है। व्यक्ति कहीं का भी वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज हो सकता है। अधिवक्ता अपीलांट ने RRD 1974 पेज न0 431 का दृष्टांत देकर बताया की वसीयत कों हस्तानान्तरण नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.02.2020 खारीज कर वसीयतनामा के अनुसार इन्तकाल दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रूटि की है एवं अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेजों पर गौर किये बिना निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूर्व दृष्टांत भी यहा चस्पा होता है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का पुन अवसर देते हुए तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलाशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

24/11/2020

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर